राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या–3863

प्रेषक,

दिनेश कुमार,
उप सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
पटना।

पटना, दिनांक– 13.9.21

विषय :– **पटना जिला के प्रखंड–बिहटा, ग्राम पंचायत–सिकन्दरपुर एवं प्रखंड–खुसरूपुर ग्राम पंचायत–अलावलपुर आरक्षण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पंचायत निर्वाचन के आरक्षण प्रपत्रों की आयोग में जाँच की गई। जाँच के क्रम में बिहटा पंचायत–सिकन्दपुर के प्रा0नि0क्षे0सं0–03 **ग्राम कहचरी पंच पद** के आरक्षण प्रपत्रों की जाँच की गई। जिसमें जिला एवं आयोग के प्रपत्र–03 में भिन्नता पाई गई। जिला के प्रपत्र–03 में प्रा0नि0क्षे0सं0–03, अनारक्षितँ–महिला है और निर्वाचन अनारक्षित–महिला पर हुआ है जो सही नहीं है। आयोग के प्रपत्र–03 में अनारक्षित–अन्य दर्ज है, जो नियमानुसार सही है। प्रखंड और जिला के प्रपत्र–03 में कटिंगकर अनारक्षित–महिला किया गया है, जो गलत है। अनारक्षित कोटि के 09 पद में 04 पद ही महिला को दिया जा सकता है। प्रखंड और जिला के प्रपत्र–03 में 05 पद अनारक्षिम–महिला को दिया गया है, जो नियमानुसार गलत है। तदनुसार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 16 के अनुसार प्रखंड और जिला के प्रपत्र–03 में सुधार करते हुए पंचायत आम निर्वाचन, 2021 कराया जाए।

जाँच के क्रम में बिहटा, पंचायत–सिकन्दपुर के प्रा0नि0क्षे0सं0–12 **ग्राम कहचरी पंच पद** के आरक्षण प्रपत्रों की जाँच की गई। जिसमें जिला एवं आयोग के प्रपत्र–03 में भिन्नता पाई गई। जिला के प्रपत्र–03 में प्रा0नि0क्षे0सं0–12 का अनारक्षित–अन्य है और निर्वाचन अनारक्षित–अन्य पर हुआ है जो सही नहीं है। अनुसूचित जाति के 03 पद देय है, परन्तु जिला के प्रपत्र–03 में 02 ही पद दिया गया है, जो गलत है। नियमानुसार जैसा कि आयोग के प्रपत्र–03 में दर्ज है अनुसूचित जाति–अन्य होना चाहिए। तदनुसार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 16 के अनुसार सुधार करते हुए पंचायत आम निर्वाचन, 2021 कराया जाए।

जाँच के क्रम में खुशरूपुर, पंचायत–अलावलपुर के प्रा0नि0क्षे0सं0–13 **ग्राम कहचरी पंच पद** के आरक्षण प्रपत्रों की जाँच की गई। जिसमें जिला एवं आयोग के प्रपत्र–03 में भिन्नता पाई गई। आयोग के प्रपत्र–03 में अनारक्षित –अन्य दर्ज है, जो सही है। जाँच के क्रम में पाया गया कि 07 अनारक्षित का पद है जिसमें 03 पद ही अनारक्षित–महिला होगा और 04 पद अनारक्षित–अन्य का होगा। प्रखंड और जिला के प्रति में अनारक्षित–महिला कोटि में 04 पद दिया गया है, परन्तु 2016 में जाँच के क्रम में आयोग के प्रपत्र–03 में काटकर 01 पद कम किया गया है, परन्तु प्रखंड एवं जिला के प्रपत्र–03 में सुधार नहीं किया गया है। जिला और प्रखंड के प्रपत्र–03 में सुधार करते हुए अनारक्षित–महिला के स्थान पर अनारक्षित–अन्य पर पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 16 के अनुसार सुधार करते हुए पंचायत आम निर्वाचन, 2021 कराया जाए।

विश्वासभाजन
13/9/21
उप सचिव।

ज्ञापांक–3863/–

पटना, दिनांक–13.9.21/–

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित पदों के आरक्षण कोटि में सुधार करते हुए आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करे।

13/9/21
उप सचिव।